न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या / 2020 / 45

1. मोती पुत्र मोहरू आयु 22 साल जाति चमार निवासी ग्राम रामदत्तपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर
2. श्रीमती प्रेम पुत्री मोहरू आयु 24 साल जाति चमार
3. प्रभू पुत्र चंदा (मृतक)
   - 3/1 पूरण पुत्र स्व0 प्रभू
   - 3/2 रतन पुत्र स्व0 प्रभू (मृतक)
   - 3/3 जमना पुत्री स्व0 प्रभू
   - 3/4 तीजा पुत्री स्व0 प्रभू
   - 3/5 विमला पुत्री स्व0 प्रभू
   - 3/6 श्रीमती मनफूली पत्नी स्व0 प्रभू

   समस्त जातिगण बैरवा निवासीगण समस्त ग्राम रामदत्तपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. मु0केसर बेवा चन्दा पुत्र रोडू जाति चमार निवासी ग्राम रामदत्तपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर (मृतक)
5. भौरिया उर्फ भेरू (मृतक)
   - 5/1 सम्पत पुत्र स्व0 केसर पौत्र भौरिया उर्फ भेरू
   - 5/2 मोहन पुत्र स्व0 केसर पौत्र भौरिया उर्फ भेरू
   - 5/3 बनवारी पुत्र स्व0 केसर पौत्र भौरिया उर्फ भेरू

   निवासी ग्राम रामदत्तपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
   - 5/4 संतोष पुत्री स्व0 केसर पौत्र भौरिया उर्फ भेरू

   निवासी ग्राम देवरी मानसरोवर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
   - 5/5 केली उर्फ काली पत्नी स्व0 केसरा

   निवासी ग्राम रामदत्तपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. [illegible]नी बेवा श्योराम आयु 60 साल जाति जाट, निवासी रामदत्तपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर (दौराने वाद मृतक)
2. गुल्ला पुत्र श्योरामा जाति जाट (मृतक)
   - 2/1 रामप्यारी पत्नी गुल्ला
   - 2/2 रामनारायण पुत्र गुल्ला
   - 2/3 राजा देवी पुत्री गुल्ला
   - 2/4 मु0 गोगा देवी पुत्री गुल्ला
   - 2/5 संतोष देवी पुत्री गुल्ला
3. गैंदीलाल पुत्र श्योरामा
4. नाथू पुत्र श्योरामा
5. भैरू पुत्र श्योरामा

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

6. श्रीलाल पुत्र श्योरामा
जाति जाटान, निवासी ग्राम रामदत्तपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा कब्जा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् खसरा नंबर 101 व 103 रकबा 27 बीघा 2 बिस्वा वाकै ग्राम रामदत्तपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर

विदवान् अभिभाषक :
1. श्री रघुवीर सिंह राठौड (वकील वादीगण)
2. श्री अभिषेक खण्डेलवाल (प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6)
3. पैरोकार सरकार (प्रतिवादी संख्या 7)

निर्णय दिनांक: 09.01.2023

वादीगण की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि वादीगण ग्राम रामदत्तपुरा के निवासी है तथा जाति से चमार है। प्रतिवादीगण भी ग्राम रामदत्तपुरा के निवासी है तथा जाति से जाट है। वादी संख्या 1 से 4 के पिता मोहरू व चंदा व वादी संख्या 5 के नाम से ग्राम रामदत्तपुरा में कृषि भूमि खसरा नंबर 101 व 103 कुल किता 2 कुल रकबा 27 बीघा 2 बिस्वा की खातेदारी में थी। मोहरू चंदा व भौरिया उर्फ भैरू अर्से दराज से उक्त भूमि पर काश्त करते आ रहे थे तथा लगान जमा करवाते थे। भूमि पर बन्दोबस्त के पूर्व से ही अर्से दराज से मोहरू, चंदा व भोरिया पुत्रान् रोडू काबिज थे, बन्दोबस्त के समय भी काबिज थे तथा पर्चा मिल जाने के बाद भी काबिज रहे व लगान जमा करवाते रहे। प्रतिवादी संख्या 1 का पति व शेष प्रतिवादीगण का पिता श्योरामा पुत्र रामसुखा जाट रामदत्तपुरा का निवासी था तथा ग्राम पंचायत अजयराजपुरा में पंच था। श्योरामा ने पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत के सरपंच व पंचो से षडयंत्र करके एक कतई फर्जी प्रविष्टियों के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में मनचाही काट छांट करवाकर फर्जी नामान्तरकरण भरवाकर पंचायत में पेश करवाया जिसे ग्राम पंचायत अजयरापुरा ने दिनांक 12.9.1961 को तस्दीक कर दिया। यह नामान्तरकरण संख्या 5 ग्राम रामदत्तपुरा है। इसमें कॉलम नंबर 5 में गलत व फर्जी नाम व जाति दर्ज है। चंदा, भोरिया व मोहरू पिसरान् रोडू कौम जाट के नाम से कोई भी व्यक्ति खातेदार ग्राम रामदत्तपुरा में 1950 से 1972 तक नही थे। इस नामान्तरकरण में रकबा वादीगण की खातेदारी की भूमि का दर्ज कर दिया गया। पंचायत के पंचो व सरपंच ने खसरा नंबर 2 बाबत् फर्जी तौर नामान्तकरण स्वीकार किया। जबकि पहिले से ही खसरा नंबर 2 की खातेदारी अन्य व्यक्ति की थी। उक्त नामान्तकरण संख्या 5 का गलत इन्द्राज पटवारी हल्का ने श्योरामा वल्द रामसुखा जाट के साथ षडयंत्र करके दिनांक 24.11.1969 को वादीगण के खाता संख्या 34 खसरा नंबर 101 व 103 रकबा 27 बीघा 2 बिस्वा में कर दिया तथा वादी संख्या 1 से 4 के पिता मोहरू, चन्दा व भोरिया वादी संख्या 5 जाति चमार का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड से हजफ कर दिया व श्योरामा वल्द रामसुखा कौम जाट का नाम बतौर खातेदार दर्ज कर दिया। पटवारी हल्का व प्रतिवादीगण के पिता की यह कार्यवाही बिना किसी आदेश के व बिना किसी

सहायक कलक्टर
जयपुर सहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

भी न्यायालय हुकम या फैसले के अभाव में की है जो चमारो को जाट दर्ज करके व राजस्व रिकॉर्ड में कांट छांट करके व मनचाहा इन्द्राज मन चाहे तरीके से करके की है। वादीगण अवैध व गलत कार्यवाही में शामिल व्यक्तियों के विरूद्व अलग से फौजदारी कार्यवाही शुरू कर रहे है। वादी संख्या 1 व 2 के पिता मोहरू का 1965 में स्वर्गवास हो गया था तथा वादी संख्या 1 व 2 दोनो नाबालिग थे। वादी संख्या 3 के पिता व 4 के पति चंदा पुत्र रोडू चमार का स्वर्गवास 1974 में हो गया था तथा वादी सं. 3 नाबालिग था। श्योरामा वल्द रामसुखा जाट ग्राम रामदत्तपुरा का असरदार व्यक्ति था पंचायत में 1977 तक पंच था। उक्त श्योरामा ने वादीगण के खाते व खातेदारी की भूमि हडपने की समस्त कार्यवाही स्वयं ने व पटवारी हल्का से मिलकर गुप्त रखी वादीगण को उक्त समस्त कार्यवाही नामान्तरकरण खोलेने, वादीगण के खाते में गलत इन्द्राज करने आदि की भनक भी नही लगने दी। प्रतिवादीगण का पिता श्योरामा व प्रतिवादीगण काफी अर्से तक उक्त भूमि गलत तरीके से अपने नाम करवाकर भी चुप रहे तथा नही पता लगने दिया न ही वर्षो तक वादीगण की काश्त व कब्जे में दखलन्दाजी की। अचानक ही 5–6 वर्ष पहले 1976 में देशी माह के हिसाब से ज्येष्ठ माह में वर्षा होने पर प्रतिवादीगण ने वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा कर लिया तथा जबरन लाठी के जोर पर वादीगण को काश्त नही करने दी। वादीगण ने गांव वालो की पंचायत बुलाई तथा प्रतिवादीगण से व उसके पिता श्योरामा से काफी अनुनय विनय किया कि वे असहाय व निर्धन व्यक्ति है तथा उनके साथ इतना घोर अन्याय न करे परन्तु प्रतिवादीगण ने वादीगण की एक भी नही सुनी तथा न ही पंचायत वालों की बात मानी। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार बाद में भी समझाया व अन्य लोगों ने भी समझाया परन्तु वे आजकल, आजकल का बहाना बनाकर टालते रहे व भूमि का कब्जा वादीगण को नही संभलाया। प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार का कानूनी व नैतिक अधिकार नही है कि वे वादीगण की भूमि पर एक क्षण भी काबिज रहे। प्रतिवादीगण अतिक्रमी है। वादीगण की यह भूमि किसी भी प्रकार प्रतिवादीगण को हस्तान्तरण नही हो सकती है। वादीगण सभी जाती से चमार है तथा अनुसूचित जाति के सदस्य है। कानूनन प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि पर किसी प्रकार काबिज रहने के अधिकारी नही है। वादीगण की खातेदारी भूमि से वैध कब्जा, प्रतिवादीगण ने व उसके पिता ने अवैध तरीके से बिना किसी अधिकार के छीन लिया है जिसे वादीगण वापिस प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण बतौर अतिक्रमी काबिज है जिसका उन्हे तनिक भी अधिकार नही है। कानूनन अधिकारी वादीगण है। वादीगण को भूमि की उपज व लाभों से वंचित किया हुआ है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत् खसरा नंबर 101 व 103 रकबा 27 बीघा 2 बिस्वा वाकै ग्राम रामदत्तपुरा तहसील सांगानेर का मय खर्चा डिक्री फरमाया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। वादीगण को खसरा नंबर 101 व 103 रकबा 27 बीघा 2 बिस्वा वाकै ग्राम रामदत्तपुरा का कब्जा वादीगण को दिलाया जावें। प्रतिवादीगण से वादीगण को भूमि पर अवैध कब्जे बनाये रखने, वादीगण को लाभ न उठाने देने के बदले हर्जाना दिलाया जावें, पेनेल्टी से दण्डित किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे भविष्य में वादीगण के कब्जे व काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न तो स्वयं करे न करावे।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित है कि वादी संख्या 1 व 2 के पिता का नाम मुहोरू व नंबर 3 के पिता का नाम चंदा व नबर 4 के के पति का नाम चंदा दर्ज है व उक्तमद में वादी संख्या 1 से 4 के पिता का नाम म्होरू दर्ज है, जबकि वास्तविकता यह है कि वादी संख्या 1 मी चंदा का लडका है इस प्रकार वाद में वादीगण का सही पता व वल्दियत ही सही दर्ज नही है, इसलिए वाद वादीगण बिना वादीगण की वल्दियत की दुरूस्ती के चलने योग्य नही है। यह तथ्य पूर्णतया गलत है कि म्होरू चंदा व भौरिया उर्फ भैरू आराजी खसरा नंबर 101, 103 मौजा रामदत्तपुरा के काबिज खातेदार काश्तकार हो व लगान देते आ रहे हो उक्त आराजी कदीम से प्रतिवादीगण व उनके पिता ही काश्त करते आ रहे व लगान देते आ रहे थे, प्रतिवादीगण के पिता श्योरामा पुत्र रामसुखा उपरोक्त आराजी में बन्दोबस्त से पूर्व व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही काश्त करते आ रहे थे लेकिन पर्चा गलती से चंदा, म्होरू व भैरू के नाम से आ गया, जिसकी दुरूस्ती चंदा, म्होरू व भैरू की स्वीकृति द्वारा पटवारी द्वारा आपत्ति नामान्तकरण भर कर दिनांक 12.09.1962 के आदेशानुसार पंचायत द्वारा दुरूस्त कर दी गई, व इसके अलावा रेवेन्यू इन्द्राजात में काश्तकारी अधिनियम लागू होने व उससे पूर्व में श्योरामा पुत्र रामसुखा का गिरदावरी काश्त में बतौर उपकृषक नाम दर्ज है व इस प्रकार कानून के अनुसार श्योरामा पुत्र रामसुखा को खातेदारी हकूक प्राप्त हो जाने से वह उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार हैं व प्रतिवादीगण श्योरामा के वारिसान है व उसकी मृत्यु के बाद उनके नाम नामान्तरकरण 101 खसरा नंबर का गैंदीलाल, भैरू, नाथू व श्रीलाल के नाम खुल गया है व सीलिंग के फैसले दिनांक 14.05.75 के अनुसार खसरा नंबर 103 का नामान्तरकर प्रतिवादी गुल्ला पुत्र श्योरामा के नाम खुल गया है इस प्रकार वादीगण आराजी जेरे वाद की खातेदारी से कोई संबंध नही है। प्रतिवादी नंबर 1 के पति व अन्य प्रतिवादीगण के पिता ने कोई फर्जी इन्द्राजात पटवारी हल्का व पंचायत के सरपंच से षडयंत्र करके नही करवाया, तथा यह तथ्य पूर्णतया मिथ्या है कि राजस्व रेकॉर्ड में मनचाही कांट छांट करवाई हो पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा तस्दीक के बाद नामान्तकरण तस्दीक किया गया था जहाँ तक नंबर 2 का सवाल है व किता दो खसरा नंबरान है उस नामान्तकरण से प्रतिवादीगण के खातेदारी हकूको पर कोई फर्क नही पडता है क्योंकि प्रतिवादीगण के पति व पिता का नाम सम्वत् 2012 व उससे पूर्व से बतौर उपकृषक दर्ज है व काश्तकारी अधिनियम से लागू होने से पूर्व जब उपकृषक दर्ज है तो उनको कानूनन खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो गए है व उनको पर्चा खातेदारी बरवक्त सेटलमेंन्ट मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला व जो बाद में दुरूस्त कर दिया गया, इस प्रकार अगर दुरूस्ती गलत भी है तो प्रतिवादीगण जो मृतक श्योराम पुत्र रामसुखा के वारिसान है श्योराम पुत्र रामसुखा के कानून के अनुसार उक्त आराजी का खातेदार होने से व बतौर वारिसान उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार है उक्त आराजी के खातेदारी हकूक में खातेदारी बेचान करने का मसला नहीं है जो कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 ए से हिट होते हो बल्कि काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी हकूक स्वयं हो जाने से श्योराम खातेदार है व प्रतिवादीगण उसके वारिसान होने से खातेदार है। यह तथ्य सही है कि म्होरू की मृत्यु सन् 1965 में हुई हो लेकिन वादी नंबर 1 मोती चंदा का

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

हुकमा है, तथा प्रतिवादी नंबर 2 प्रेम की म्होरया की मृत्यु के पूर्व ही म्होरू ने ही उसकी शादी कर दी थी। तथा यह तथ्य भी पूर्णतया गलत है कि प्रतिवादीगण के पिता नंबर 1 के पति श्योरामा ने उक्त खातेदारी भूमि हडपने की गर्ज से फर्जी कार्यवाही की हो, प्रतिवादीगण व उनके पिता उक्त आराजी को कदीम से काश्त करते आ रहे है व लगान देते आ रहे है, वादीगण को उक्त तथ्य का ज्ञान शुरू से ही था यह तथ्य पूर्णतया मिथ्या है कि वादीगण को उक्त आराजी की खातेदारी जो प्रतिवादीगण नंबर 2 से 6 व उनके पिता के नाम थी उसका ज्ञान नही हो उक्त आराजी के बावत् श्योराम के विरूद्ध सिलिंग की कार्यवाही चली थी व उसका उपजिलाधीश जयपुर द्वारा 14.05.1975 को फैसला हुआ था, व उक्त फैसले के अनुसार प्रतिवादी नंबर 2 गुल्ला के नाम खसरा नंबर 103 की खातेदारी अलग हुई है। यह तथ्य पूर्णतया गलत एवं मिथ्या है कि वादीगण ने गांव वालों की कोई पंचायत बुलाई हो। बयान मजीद में अंकित है कि वादीगण वादपत्र के मद नंबर 12 के अनुसार खसरा नंबर 103 की खातेदारी अलग से गुल्ला प्रतिवादी के नाम होना कहते है व अलग अलग खातेदारों पर कब्जा प्राप्त करने के दो दावे अलग से वादीगण को करने चाहिए थे वादीगण ने एक ही दावा किया है व इस प्रकार वाद वादीगण ऑफ सूट्स के डिफेक्ट से चलने योग्य नही है। अतः वादोत्तर पेश कर अर्ज है कि वाद वादीगण खारिज फरमाया जावें।

वाद में जवाब उपरांत निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादी संख्या 1 से 4 के पिता मोरू व चंदा व वादी संख्या–5 के नाम रामदत्तपुरा में कृषि भूमि खसरा नंबर 101 व 103 रकबा 27 बीघा 2 विस्वा खातेदारी में थी व बंदोवस्त से पूर्व काबिज है।
2. आया प्रतिवादीगण ने पटवारी व सरपंच से साज करके वादी राजस्व रिकॉर्ड में मनचाही कांट छांट करके उक्त आराजी का नामांतकरण 12.09.61 व प्रतिवादीगण स्वीकार कर दिया, उक्त नामांतकरण फर्जी है व इसी कालम संख्या–3 फर्जी नाम व जाति दर्ज है।
3. आया उक्त नामांतकरण सं.5 का गलत इन्द्राज वादी पटवारी हल्का ने श्योरामा जाट के साथ षडयंत्र करके वादीगण के खाता संख्या 34 खसरा नंबर 101, 103 रकबा 27 बीघा 2 विस्वा में कर दिया व वादीगण का नाम हटा दिया व श्योरामा पुत्र रामसुखा जाट को खातेदार दर्ज कर दिया।
4. आया वादीगण आराजी जेरे वाद में अपने आपको खातेदार घोषित करवाने के व प्रतिवादीगण से कब्जा प्राप्त करने व प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से डिक्री से पाबन्द करवाने के अधिकारी है।
5. आया वादीगण ने अपने नाम में गलत पता व नाम व पिता का नाम दर्ज किया है। व मिस डिसक्रिपशिन होने से वाद वादी चलने योग्य नही है।
6. आया वाद वादीगण जेरे वाद आराजी को अलग–अलग खातेदारी में होने से एक वाद में वादीगण को कोई रिलीफ नही मिल सकता व वाद वादीगण मिस ज्वाईंडर ऑफ सूट्स के डिफेक्ट से चलने योग्य नही है।
7. वादीगण को वाद में बिनाय मुखासमत कब पैदा हुई दर्ज नही है, इसलिए वाद वादीगण चलने योग्य नही है।
8. आया वाद वादीगण मियाद बाहर है।
9. आया वाद वादीगण बिना तहसीलदार प्रतिनिधि राज्य सरकार को पक्षकार बनाये व धारा 80 सीपीसी को नोटिस देकर लाना तहसीलदार सांगानेर

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

को प्रतिनिधि राज्य सरकार के रूप में पक्षकार बनाये वाद वादीगण चलने योग्य नही है।

10. आया प्रतिवादीगण उक्त जेरे वाद आराजी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व काश्त करते आ रहे है व कानूनन उनको खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है व वादीगण ने स्वयं ने लत परचय उनके नाम आने से स्वयं ने नामांतकरण प्रतिवादीगण के नाम खुलवाया है, इस प्रकार वाद वादीगण चलने योग्य नही है।

11. दादरसी क्या होगी।

12. आया प्रतिवादीगण ने भूमि मुतनाजा की खातेदारी का गलत इन्द्राज करवाया है।

13. आया भूमि मुतनाजा पर नाजायज प्रतिवादीगण है। आया गलत इन्द्राज का दावे पर क्या असर है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई। वाद में वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पी.डब्ल्यू–1, मोती पुत्र श्री मोहरू, पी.डब्ल्यू–2 श्रीमती प्रेम पुत्री मोहरू, गोगाराम पुत्र श्री छोटू, श्रीमती बादाम पत्नी मोहरू पेश किये गये जिरह वकील प्रतिवादीगण द्वारा की गई। वकील प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र डी. डब्ल्यू–1 गेंदीलाल पुत्र श्री श्योराम, डी–डब्ल्यू–2 कालू पुत्र श्री मांग, डी.डब्ल्यू–3 श्योनारायण पुत्र श्री हनुमान, पेश की गई जिरह वकील वादी द्वारा की गई।

वादपत्र पर बहस वकील वादी की मौखिक सुनी गई। वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ 2014 DNJ (SC) 889, 2011(3) DNJ (Raj) 1261, 2012(2) WLC (SC) Civil 670, 2008(2) RRT 884, 2015(2) WLC (SC) न्यायिक दृष्ट्रांत का विवेचन किया। प्रतिवादीगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमें वादीगण के वाद का अंकन व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब का अंकन व तनकी का अवलोकन किया गया। वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में वादी गवाहान में वादीगण मोती, प्रेमदेवी व स्वतंत्र गवाहान में गोगाराम के बयान किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में कुल दस्तावेज पेश किये, लेकिन किसी भी दस्तावेज को गवाहान ने अपने बयानो में प्रदर्श डलवाकर अंकित नही किये। इस प्रकार उक्त दस्तावेज कानूनन साक्ष्य में ग्राहय किये जाने योग्य नहीं है। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य में प्रतिवादी गवाह गेंदीलाल तथा स्वतंत्र गवाहान में पडौसी खातेदारी श्योनारायण व कालूराम के बयान लेखबद्ध करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्श करवाये:–

प्रदर्श ए–1 – खसरा गिरदावरी सम्वत् 2011 से 2012
प्रदर्श ए–2 – खसरा गिरदावरी सम्वत् 2015 से 2016
प्रदर्श ए–3 – खसरा गिरदावरी सम्वत् 2018 से 2018
प्रदर्श ए–4 – खसरा गिरदावरी सम्वत् 2028 से 2037
प्रदर्श ए–5 – खसरा गिरदावरी सम्वत् 2032 से 2034
प्रदर्श ए–6 – नामांतकरण दिनांक 16.06.1975
प्रदर्श ए–7 – जमाबंदी संवत् 2018 से 2022
प्रदर्श ए–8 – जमाबंदी संवत् 2023
प्रदर्श ए–10 –जमाबंदी सम्वत् 2031
प्रदर्श ए–11 –जमाबंदी सम्वत् 2035 से 2038

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण का विवादित भूमि पर सम्वत् 2011 से पूर्व से ही यानि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 तथा धारा 19 में यह स्पष्ट प्रावधान अंकित किए गए है कि जिस व्यक्ति का भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही लगातार कब्जा चला आ रहा है उसे खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो जाते है। प्रतिवादीगण द्वारा सम्वत् 2011 से 2037 तक की गिरदावरियां प्रस्तुत की है, जिनसे प्रतिवादीगण ने यह बखूबी साबित किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही तथा उसके बाद भी लगातार विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है तथा कानूनन उन्हे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। लेकिन बन्दोबस्त के दौरान बन्दोबस्त अधिकारियों ने गलत तरीके से वादीगण का नाम खातेदारी में अंकित कर दिया, जिसे सन् 1961 में ही जरिये नामांतकरण दुरूस्त कर दिया गया तथा उसके बाद से प्रतिवादीगण लगातार काबिज खातेदार चले आ रहे है। धारा 19 तथा धारा 15 में खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो जाने के संबंध में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश है –

RRT 2016-17(Suppl.) page 74 (Rajasthan High Court)
2014(2) RRT Page 1368 (Rajasthan High Court)
RRD 1987 Page 97 (Rajasthan High Court)
2018(2) RRT Page 1166
2017(1) RRT Page 63
2017(1) RRT Page 653
2016(1) RRT Page 537

इस प्रकार उपरोक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायिक दृष्टांतो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण जो कि राज0 काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही लगातार बतौर शिकमी काश्तकार भूमि पर काबिज है तथा गिरदावरियों से उनका कब्जा स्पष्ट है तो ऐसी स्थिति में बंदोबस्त अधिकारियों द्वारा जो गलत तरीके से भूमि का इन्द्राज वादीगण के नाम कर दिया गया था, उस अंकन को ग्राम पंचायत अजयराजपुरा द्वारा जो आपत्ति नामांतकरण के जरिये सन् 1961 में दुरूस्त किया गया है वह बिल्कुल वैध व कानूनी है क्योंकि धारा 19 व 15 के प्रावधानो के तहत काबिज व्यक्ति को खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो जाते है। वादीगण द्वारा अपने वाद में यह आपत्ति भी ली गयी है कि वादीगण जाति से चमार यानि अनुसूचित जाति के है तथा प्रतिवादीगण जाति से जाट यानि स्वर्ण जाति के है तथा वादीगण की भूमि प्रतिवादीगण को हस्तांतरित नही हो सकती है। इसं संबंध में यह निवेदन है कि आपत्ति नामांतकरण, जिसके जरिये भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई है, वह सन् 1961 में खुला है तथा धारा 42 में जो अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमि का हस्तांतरण स्वर्ण जाति के नाम करने से जो वर्जित किया गया है वह सन् 1964 के संशोधन से किया गया है तथा उक्त संशोधन का कोई पश्चातवर्ती प्रभाव भी नही है, इस कारण वादीगण हस्तगत प्रकरण में धारा 42 की सहायता नही ले सकते है। यहॉ यह उल्लेखित किया जाना भी आवश्यक है कि धारा 42 में जो हस्तांतरण के तरीके बताये गये है वह विक्रय, बख्शीश तथा वसीयत ही बताये गये है जबकि हस्तगत प्रकरण में जो हस्तातंरण हुआ है वह इन तीनो ही तरीके से ना होकर ग्राम पंचायत के आपत्ति नामांतकरण के आधार पर हुआ है, जिसे भी इस आधार पर चुनौती नही दी जा सकती है। इस संबंध में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत है :–

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

RRT 2009 Page 177 (Rajasthan High Court)
RRT 2009 Page 177 (Rajasthan High Court)

इस प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतो की रोशनी से यह स्पष्ट है कि धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान हस्तगत प्रकरण में लागू नही होते है। जहाँ तक तनकी संख्या 1, 2, 3, 11 व 12 का संबंध है उक्त तनकियात को साबित करने का भार वादीगण पर था, जिनको साबित करने में वादीगण असफल रहे है जबकि प्रतिवादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के धारा 19 व 15 के प्रावधानो के तहत खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो चुके थे तथा जो नामान्तकरण सन् 1961 में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया गया है वह बिल्कुल वैध है क्योंकि दौराने बन्दोबस्त अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार देने के कोई हक व अधिकार नही है। इसी कारण आपत्ति नामांतकरण के जरिये खातेदारी हासिल की गयी थी। वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न ना होने एवं मियाद बाहर होने का प्रश्न है तो उस संबंध में यह निवेदन है कि वादीगण ने अपने वाद पत्र में कही भी यह अंकित नही किया है कि उनको वाद कारण उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार वादीगण ने अपने वादपत्र में यह दर्ज किया है कि सन् 1976 में प्रतिवादीगण ने जबरन् वादीगण को बेदखल कर कब्जा ले लिया है तथा प्रतिवादीगण ने हस्तगत वाद 1976 में बेदखली के आधार पर दिनांक 16.07.1982 को प्रस्तुत किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के तहत् कब्जा वापसी के वाद हेतु नियत मियाद 12 वर्ष है यानि बेदखली की दिनांक से 12 वर्ष के भीतर बेदखल व्यक्ति को कब्जा वापसी हेतु वाद दायर करना चाहिए अन्यथा वाद मियाद बाहर होने के आधार पर खारिज हो सकता है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण ने जो सम्वत् 2011 से लगातार गिरदावरी प्रस्तुत की है, उनसे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण सम्वत् 2011 यानि सन् 1955 के पूर्व से ही लगातार भूमि पर काबिज चले आरहे है। यदि 1955 से भी प्रतिवादीगण का कब्जा माना जावे तो भी 12 वर्ष यानि 1967 तक वादीगण को वाद प्रस्तुत कर देना चाहिये था, लेकिन वादीगण ने मनमाने तौर पर सन् 1976 में बेदखली अंकित कर 1982 में वाद प्रस्तुत किया है जो कि लगभग 15 वर्ष की अवधि से मियाद बाहर है, इसलिए इस आधार पर भी वादीगण का वाद मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रतिवादीगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद सव्यय खारिज किया जावें।

वकील वादीगण की मौखिक व प्रतिवादीगण की लिखित बहस का मय इजाफती व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत अवलोकन किया गया। वाद का तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :

तनकी संख्या 1 – आया वादी संख्या 1 से 4 के पिता मोहरू व चंदा व वादी संख्या–5 के नाम रामदत्तपुरा में कृषि भूमि खसरा नंबर 101 व 103 रकबा 27 बीघा 2 बिस्वा खातेदारी में थी व बंदोबस्त से पूर्व काबिज है। .....जिम्मे वादीगण तनकी नंबर 1 को साबित करने का भार वादीगण पर था वादीगण द्वारा उपरोक्त तनकी के समर्थन में प्रदर्श–1 खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2011 से 2030 प्रस्तुत की है और साथ ही वादीगण ने स्वयं ने साक्ष्य शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह से यह साबित किया कि उक्त भूमि विवादग्रस्त साबिक खसरा नंबर 101 व 103 किता 2 रकबा 27 बीघा 2 बिस्वा वादीगण संख्या 1 लगायत 4 के पिता तथा मोहरू व

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

वादी तथा वादी संख्या 5 के नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्राजं दर्ज थे इसलिए उक्त तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 2 – आया प्रतिवादीगण ने पटवारी व सरपंच से साज करके वादी राजस्व रिकॉर्ड में मनचाही कांट छांट करके उक्त आराजी का नामांतकरण 12.09.61 प्रतिवादीगण के स्वीकार कर दिया। उक्त नामांतकरण फर्जी है इसके कालम संख्या–5 में फर्जी नाम व जाति दर्ज है। ....जिम्मे वादीगण

उक्त तनकी को वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित होता है कि उक्त भूमि के खातेदार कृषक वादीगण थे प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मियों के साथ मिलकर अवैध रूप से नामांतकरण संख्या 5 दिनांक 12.09.1961 तस्दीक करवाया है जो पूर्णतया अवैध है क्योकि राजस्व कर्मियों व प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व भू–अभिलेखो में उक्त नामांतकरण का अंकन वर्ष 1968 में अंकित करवाया है भू–राजस्व अधिनियम 1956 व राजस्व नियमों में यह स्पष्ट प्रावधान है कि ग्राम पंचायत को विरासत का नामांतकरण तस्दीक करने का अधिकार दिया गया था परन्तु ग्राम पंचायत ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त नामांतकरण संख्या 5 दर्ज किया है जो प्रारंभ से ही अवैध था चूंकि उक्त नामांतकरण में फर्जी नाम व गलत जाती दर्ज की है इससे स्पष्ट होता है कि नामांतकरण की कार्यवाही पूर्णतया अवैध है। उक्त विवेचन के आधार पर तनकी नंबर दो वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 3 –आया उक्त नामांतकरण सं.5 का गलत इन्द्राज वादी पटवारी हल्का ने श्योरामा जाट के साथ षडयंत्र करके वादीगण के खाता संख्या 34 खसरा नंबर 101, 103 रकबा 27 बीघा 2 बिस्वा में कर दिया व वादीगण का नाम हटा दिया व श्योरामा पुत्र रामसुखा जाट को खातेदार दर्ज कर दिया। .... जिम्मे वादीगण

उक्त तनकी के समर्थन में वादीगण ने प्रदर्श–1 खतौनी बन्दोबस्त भू–प्रबंध (सैटलमेंट) संवत् 2011 से 2030 व प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत् 2017, प्रदर्श–3 नामांकरण संख्या 5, प्रदर्श–4 जमाबंदी संवत् 2019–2022, प्रदर्श–5 जमाबंदी संवत् 2019 से 2022, प्रदर्श–6 जमाबंदी संवत् 2035 से 2038 पेश किये है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि के खातेदार कृषक वादीगण संख्या 1 लगायत 4 के पूर्वज व वादी संख्या 5 स्वयं था जो जाति से अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे और उनका नाम राजस्व भू–अभिलेखो में इन्द्राजात दर्ज थे। उक्त दस्तावेजात के आधार पर यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 4 –आया वादीगण आराजी जेरे वाद में अपने आपको खातेदार घोषित करवाने के व प्रतिवादीगण से कब्जा प्राप्त करने व प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से डिक्री से पाबन्द करवाने के अधिकारी है। ..... जिम्मे वादीगण उक्त तनकी के समर्थन में पेश दस्तावेजी साक्ष्य व विधि के स्पष्ट प्रावधानो के अनुसार उक्त विवादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वज ही खातेदार कृषक थे और राजस्व कर्मियो द्वारा किये अवैध इन्द्राज को निरस्त करवाने का और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने तथा प्रतिवादीगण द्वारा अवैध कब्जे से बेदखल करवाने तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद करवाने के अधिकारी है क्योकि वादीगण ने यह साबित किया है कि उक्त अवैध इन्द्राज प्रतिवादीगण द्वारा कब्जे से बेदखल करने से पूर्व वादीगण ही खातेदार कृषक थे और राजस्व लगान राज्य सरकार को अदा करते आ रहे थे वादीगण प्रतिवादीगण के द्वारा राजस्व कमियों से मिलीभगत कर अवैध

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

शून्य नामांतकरण संख्या 5 के आधार पर अवैध इन्द्राज दर्ज करवाने के पश्चात वादीगण को कब्जे से बेदखल करने की अवैध कार्यवाही की है। इसको वादीगण ने दस्तावेजात व साक्ष्यो से साबित किया है। इसलिए उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 5 – आया वादीगण ने अपने नाम में गलत पता व नाम व पिता का नाम दर्ज किया है। व मिस डिसक्रिप्शन होने से वाद वादी चलने योग्य नही है। ..... जिम्मे प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त तनकी के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है और स्वतंत्र गवाहो ने भी ऐसी कोई साक्ष्य प्रतिवादीगण ने पेश नही की है। जिससे उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 6 – आया वाद वादीगण जेरे वाद आराजी को अलग-अलग खातेदारी में होने से एक वाद में वादीगण को कोई रिलीफ नही मिल सकता व वाद वादीगण मिस ज्वाईडर ऑफ सूट्स के डिफेक्ट से चलने योग्य नही है। ..... जिम्मे प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को साबित करने हेतु प्रतिवादीगण ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की है उक्त विवादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नंबर 101 व 103 की भूमि अन्य खाते की भूमि थी जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो में प्रदर्श–1, 2 से यह साबित होता है कि उक्त खसरा नंबर एक ही खाते की भूमि है। इसलिए उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 7– वादीगण को वाद में विनाय मुखासमत कब पैदा हुई दर्ज नही है, इसलिए वाद वादीगण चलने योग्य नही है। ..... जिम्मे प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को भी साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्ष्यो ने यह स्वीकार किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के आपस में विवाद हुआ था इसलिए प्रतिवादीगण के स्वतंत्र साक्ष्यो व वादीगण के वादकारण उत्पन्न होना स्पष्ट होता है। इसलिए उक्त तनकी भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 8 – आया वाद वादीगण मियाद बाहर है। .... जिम्मे प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो की उक्त वाद वादीगण का मियाद बाहर है जबकि वादीगण ने स्पष्ट किया है कि वादीगण का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार अन्दर मियाद प्रस्तुत किया गया है और घोषणा के वाद के संबंध में मियाद लागू नही होती है इसलिए उक्त तनकी भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 9 – आया वाद वादीगण बिना तहसीलदार प्रतिनिधि राज्य सरकार को पक्षकार बनाये व धारा 80 सीपीसी को नोटिस देकर लाना तहसीलदार सांगानेर को प्रतिनिधि राज्य सरकार के रूप में पक्षकार बनाये वाद वादीगण चलने योग्य नही है। .... जिम्मे प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को साबित करने का भार भी प्रतिवादीगण पर था धारा 80 सीपीसी के अन्तर्गत उक्त वाद में राजस्थान राज्य सरकार पक्षकार संयोजित है और राजस्थान सरकार द्वारा कोई आपत्ति नही की गई है प्रतिवादीगण ने इसके संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नही की है। इसलिए उक्त तनकी भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

तनकी नंबर 10 –आया प्रतिवादीगण उक्त जेरे वाद आराजी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व काश्त करते आ रहे है व कानूनन उनको खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है व वादीगण ने स्वयं ने गलत पर्चा उनके नाम आने से स्वयं ने नामांतकरण प्रतिवादीगण के नाम खुलवाया है, इस प्रकार वाद वादीगण चलने योग्य नही है। ..... जिम्मे प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण ने उक्त तनकी को साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्यो में खसरा गिरदावरीया प्रस्तुत की है खसरा गिरदावरी राईट ऑफ रिकॉर्ड नही होती है प्रतिवादीगण ने वादीगण के नाम से पूर्व का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है प्रतिवादीगण के नाम कुछ खसरा गिरदावरियो में उपकृषक दर्ज अवश्य है परन्तु उक्त भूमि के खातेदार कृषक वादीगण संख्या 1 लगायत 4 के हकपूर्वाधिकारी व वादी संख्या 5 स्वयं खातेदार कृषक अंकित है और यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि वादीगण खातेदार कृषक अर्से–दराज से है और वादीगण जाति से अनुसूचित जाति के व्यक्ति है इनके नाम से राजस्व भू–अभिलेखो में अंकित थी प्रतिवादीगण स्वर्ण जाति के व्यक्ति है इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का उल्लघंन है। प्रतिवादीगण ने उक्त तनकी को साबित करने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 व 19 के आधार पर खातेदारी अधिकार क्लेम करते है परन्तु धारा 15 व 19 के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का प्रावधान ग्राम पंचायत को नही है धारा 15 व 19 के आधार पर यदि खातेदारी अधिकार क्लेम करते है तो उन्हे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 व 19 के अनुसार नियमित वाद/आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक था परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा कोई काउन्टर क्लेम या पृथक से कोई नियमित वाद प्रस्तुत नही किया गया है। इसलिए भी उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 12 – आया प्रतिवादीगण ने भूमि मुतनाजा की खातेदारी का गलत इन्द्राज करवाया है। .... जिम्मे वादीगण

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में प्रदर्श–1 से 6 प्रस्तुत किये है जिनसे स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि वादीगण संख्या 1 से 4 के हकपूर्वाधिकारी व वादी संख्या 5 के स्वयं के नाम खातेदारी व कब्जे काश्त में थी प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मियो से साज कर अवैध रूप से इन्द्राज करवाया जो पूर्णतया कानूनी प्रावधानो के विपरीत है और गलत इन्द्राज है। उक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 13 – आया भूमि मुतनाजा पर नाजायज प्रतिवादीगण है। आया गलत इन्द्राज का दावे पर क्या असर है। .....जिम्मे वादीगण

उक्त तनकी के समर्थन में वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य व गवाहो के बयानो व जिरह से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की भूमि पर अवैधरूप/नाजायज कब्जा है और गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण ने वादीगण को उनकी विधिक कब्जे काश्त से बेदखल कर अवैध रूप से नाजायज कब्जा कर रखा है उक्त वाद पर इस प्रकार नाजायज कब्जा व गलत इन्द्राज के आधार पर कोई असर नही पडता है।

तनकी नंबर 11– दादरसी क्या होगी।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श–1 खतौनी बन्दोबस्त (सेटलमेंट विभाग) सम्वत् 2011 से 2030 की प्रमाणित नकल में खसरा नंबर 101 व 103 रकबा 27 बीघा 2 बिस्वा की खातेदारी चन्द्रा व भौरया व मोहरू पिसरान् रोडू कौम चमार के नाम अंकित है। प्रदर्श–ए–1 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2011–2012, प्रदर्श–ए–2 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2015–2016, प्रदर्श–ए–3 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2018–2019 में साबिक खसरा नंबर 101 में कृषक कॉलम संख्या 6 में चन्दा मोहरू पी रोड कौ. चमार व साबिक खसरा नंबर 103 में कृषक कॉलम संख्या 6 में चन्द्रा वगैराह अंकित है। प्रदर्श–ए–8 जमाबंदी संवत् 2023–23 में कृषक कॉलम संख्या 5 में साबिक खसरा नंबर 101 व 103 रकबा 27 बीघा 2 बिस्वा में चन्दा, भैरिया, मोहरू पुत्रान् रोडू जाति चमार सा0देह अंकित है। प्रदर्श–3 नामान्तकरण संख्या 5 ग्राम रामदत्तपुरा तहसील सांगानेर जो दिनांक 20.08.61 को पटवारी द्वारा भरा गया, दिनांक 28.08.61 को गिरदावर द्वारा जांच किया गया एवं दिनांक 12.09.61 को सरपंच द्वारा तस्दीक किय गया उसमें चन्द्रा, भौरया, मोहरू पिसरान् रोडू की कौम जाट अंकित की गई है। साथ ही उक्त नामान्तकरण में खसरा नंबर 2 व क्षेत्रफल 27 बीघा 2 बिस्वा अंकित किया गया है इस नामान्तकरण का अमल ग्राम रामदत्तपुरा की जमाबंदी संवत् 2019 से 2022 के विशेष विवरण में अंकित नोट के अनुसार दिनांक 09.07.68 तक नहीं हुआ और तहसील की आज्ञा दिनांक 01.07.67 होने पर दिनांक 09.07.68 को नोट अंकित किया गया। प्रदर्श–ए–6 नामान्तकरण संख्या 38 के द्वारा साबिक खसरा नंबर 103 की खातेदारी श्योराम पुत्र रामसुख जाट से गुल्ला पुत्र श्योराम जाट के भरी गई। साक्ष्य पीडब्ल्यू–2 ने जिरह के दौरान अवगत कराया है कि मेरे पिता के मरते ही प्रतिवादीगण ने मारपीट कर कब्जा कर लिया" (जिरह पृष्ठ संख्या 1 पर नीचे से आठवी लाईन) साक्ष्य गोगाराम पुत्र श्री छोटू ने अपने बयान में बताया कि "चन्दा, भोरया व मोहरू पि0 रोडू जाट नाम का कोई व्यक्ति ग्राम रामदत्तपुरा में सन् 1950 से 1982 तक था या नही इसका कोई रिकॉर्ड मैने नही देखा" (जिरह पृष्ठ संख्या 1 उपर से 13वीं लाईन), डी–डब्ल्यू–1 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि "वादग्रस्त आराजी के नाम पर्चा चन्द्रा, भौरिया व मोरू के नाम गलत चला गया" (पृष्ठ संख्या 1 पर नीचे से अंतिम लाईन) व वादी अधिवक्ता द्वारा जिरह में प्रश्न के जवाब में बताया कि मेरे पिता के नाम जो एक बीघा जमीन चढी है उसके आदेश की जानकारी मुझे नहीं है और मेरे द्वारा उसकी कोई प्रति न्यायालय समक्ष पेश नहीं की गई है।

उपरोक्त विवेचन व साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात साबिक खसरा नंबर 101 व 103 रकबा 27 बीघा 2 बिस्वा प्रथम दफलमेंट से पूर्व से ही चन्द्रा व भौरया व मोहरू पिसरान् रोडू कौम चमार के नाम दर्ज थी जो प्रदर्श–ए–1 से जाहिर है। प्रस्तुत साक्ष्य, गवाह, दस्तावेजात से यह जाहिर हुआ है कि प्रदर्श–3 नामान्तकरण संख्या 5 ग्राम रामदत्तपुरा तहसील सांगानेर जो दिनांक 20.08.61 को पटवारी द्वारा भरा गया, दिनांक 28.08.61 को गिरदावर द्वारा जांच किया गया एवं दिनांक 12.09.61 को सरपंच द्वारा तस्दीक किया गया, वह पूर्णतया गलत है। क्योंकि उसमें चन्द्रा, भौरया, मोहरू पिसरान् रोडू की कौम जाट अंकित कर नामांतकरण भरा गया है। जिससे साफ जाहिर है कि वादीगण की जाति बदलकर वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी श्योराम के नाम अंकित की गई है और भरे गये नामान्तकरण में वादग्रस्त आराजीयात का खसरा नंबर भी अंकित नही है पीछे विवरण में खसरा नंबर 2 रकबा 27 बीघा 2

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

बिस्वा अंकित कर चन्दा, भौरया, मोहरू पिसरान् रोडू का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया गया है। प्रतिवादीगण भी यह साबित नही कर पाये है कि साबिक खसरा नंबर 101 व 103 की भूमि उनके नाम किस आदेश से लगी है।

उपरोक्त प्रदर्श–3 नामान्तकरण संख्या 5 से स्पष्ट है कि जो 27 बीघा 2 बिस्वा का नामान्तकरण संख्या 5 भरा गया है वह अपने आप में स्वयं ही शून्य है प्रथम तो उक्त नामांतकरण में ना तो खसरा नंबरान् का सही उल्लेख किया गया है केवल मात्र खसरा नंबर 2 अंकित कर वादीगण की आराजीयात का रकबा 27 बीघा 2 बिस्वा अंकित किया गया है तत्पश्चात इसी नामांतकरण के आधार पर पंचायत द्वारा वादीगण के साबिक खसरा नंबर 101 व 103 की भूमि प्रतिवादी संख्या एक के नाम अंकित कर दी गई। दूसरा जो यह नामांतकरण भरा गया उसमें साबिक खसरा नंबर 101 व 103 के खातेदारान् की जाति चमार के स्थान पर जाट अंकित कर भरा गया है। ऐसे में उक्त नामान्तकरण संख्या 5 जो दिनांक 20.08.61 को पटवारी द्वारा भरा गया, दिनांक 28.08.61 को गिरदावर द्वारा जांच किया गया एवं दिनांक 12.09.61 को सरपंच द्वारा तस्दीक किया गया, को वादीगण के अधिकारो के प्रति निष्क्रिय और निष्प्रभावी घोषित किया जाता है और उक्त नामान्तकरण के आधार पर जो वादीगण की जमीन श्योराम जाट के दर्ज की गई वह भी पूर्णतया गलत है और श्योराम जाट द्वारा वादग्रस्त आराजी अपने नाम अंकित होने पर जो सिलिंग कार्यवाही वादग्रस्त आराजी की गई वह भी वादीगण के अधिकारो के प्रति शून्य है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत भी प्रकरण पर चस्पा होते है। ऐसे में वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपरोक्त तनकीयो के निर्णय उपरांत वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात साबिक खसरा नंबर 101 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा जिसके हाल, खसरा नंबर 135/421 रकबा 0.4100 हैक्टेयर है जिसमें से 0.01 हैक्टेयर व खसरा नंबर 135 रकबा 4.3500 हैक्टेयर है जिसमें से 1.94 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.95 हैक्टेयर का तथा साबिक खसरा नंबर 103 रकबा 19 बीघा 08 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 137 रकबा 2.11 हैक्टेयर, 138 रकबा 2.42 हैक्टेयर, 139 रकबा 0.57 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 5.10 हैक्टेयर वाकै ग्राम रामदत्तपुरा पटवार हल्का अजयराजपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम अमल–दरामद किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात का साबिक नक्शे(साबिक खसरा नंबर 101 व 103) के अनुसार भौतिक रूप से कब्जा प्रतिवादीगण से दिलाया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण की आराजीयात में किसी प्रकार की दखलअंदाजी, मजाहमत, व उपभोग–उपभोग में बाधा कारित नही करें। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** व इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल–। (आर.ए.एस.)**

मोती **बनाम** नानगी वगै.

वाद बाबत् घोषणा कब्जा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् खसरा नंबर 101 व 103 रकबा 27 बीघा 2 बिस्वा वाकै ग्राम रामदत्तपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर – दावा/2020/45

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–। व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात साबिक खसरा नंबर 101 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 135/421 रकबा 0.4100 हैक्टेयर है जिसमें से 0.01 हैक्टेयर व खसरा नंबर 135 रकबा 4.3500 हैक्टेयर है जिसमें से 1.94 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.95 हैक्टेयर का तथा साबिक खसरा नंबर 103 रकबा 19 बीघा 08 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 137 रकबा 2.11 हैक्टेयर, 138 रकबा 2.42 हैक्टेयर, 139 रकबा 0.57 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 5.10 हैक्टेयर वाकै ग्राम रामदत्तपुरा पटवार हल्का अजयराजपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम अमल–दरामद किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात का साबिक नक्शे(साबिक खसरा नंबर 101 व 103) के अनुसार भौतिक रूप से कब्जा प्रतिवादीगण से दिलाया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण की आराजीयात में किसी प्रकार की दखलअंदाजी, मजाहमत, व उपयोग–उपभोग में बाधा कारित नही करें। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.01.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत .... सहायक कलक्टर

ओहदा .... जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान		00	मीजान		

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner